फर्द अहकाम

न्यायालय

बजरंग बनाम ओमप्रकाश

मुकदमा संख्या /वर्ष 30/2024 : /20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	25/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष [illegible] प्रार्थना पत्र O7R11 CPC पेश [illegible] प्रार्थना पत्र O7R11 CPC [illegible] वास्ते बहस प्रार्थना पत्र 1/10/24 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	1/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र O7R11 cpc पर वकील उभयपक्षों को बहस सुनी गई। वास्ते आदेश हेतु दि० 16/10/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	16/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर। प्रार्थना पत्र O7R11 पर बहस सुनी गई। [illegible] वकील उभयपक्ष व अवलोकन पत्रावली का मय इस्तगासे [illegible] स्वीकार करने पर प्रार्थना पत्र O7R11 [illegible] खारिज किया जाकर वाद [illegible] पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। वाद [illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Himmat Singh Date: 2025.04.04 12:27:03 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

लय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय
ीन अधिकारी श्री हिम्मत सिंह आर० ए० एस०

ा: 30/2024
थि: 12/1/2024

ा लाल चौपड़ा पुत्र नारायण चौपड़ा जाति जाट निवासी
-गवार जाटान व नर्सिंहपुर दादिया तहसील सांगानेर जयपुर
ान) — वादी

बनाम

काश पुत्र रामचंद्र
देवी पत्नी रामचन्द्र
किशोर पुत्र श्री नारायण
ा देवी पुत्री रामचन्द्र
ाल पुत्र श्री नारायण
निवास पुत्र रामचंद्र
प्यारी पुत्री रामचन्द्र
लाल पुत्र श्री नारायण
किशन पुत्र मांगीलाल (नाम हजफ आदेश दिनांक 22/3/2024)
लकिशोर पुत्र जयराम
ान सहाय चौधरी पुत्र रघुनाथ सहाय चौधरी
ू पुत्री जयराम
ीला पुत्री जयराम
स्त जाति जाट निवासी ग्राम गवार जाटान नर्सिंहपुर दादिया
सील सांगानेर जिला जयपुर (राजस्थान)
हसीलदार, तहसील सांगानेर जिला जयपुर
स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर जयपुर

वाद बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती
व स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11
सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

निर्णय

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 12:27:03 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक: 16/10/24

वादी ने वाद पत्र बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती व
निषेधाज्ञा वाके ग्राम गवार जाटान तहसील सांगानेर जिला जयपुर
गत खसरा नम्बरान् 327, 343, कुल किता 2 कुल रकबा 1.59 हे0,
सरा नम्बरान् 326, 344 रकबा 1.46 हे0 भूमि का पेश किया है।

— लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय

उक्त वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज को हजफ कराये जाने व उक्त माफी मंदिर जमीन की खातेदारी मंदिर रामलला के नाम घोषित कर राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे का दुरुस्त करने हेतु घोषणा का दावा पेश किया है। जिसमे प्रतिवादी सं. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 व 13 की ओर से प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC सपठित धारा 151 CPC पेश किया गया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वाद पत्र मे वादी ने वादग्रस्त भूमि तथाकथित रूप से मंदिर की बतायी है अपनी नही बतायी है यानि कि वादी का वादग्रस्त भूमि मे कोई हित निहित नही है। राजस्व रिकार्ड मे वादग्रस्त भूमि वादी व उसके पूर्वजो के नाम कभी दर्ज नही रही है वादी का वादग्रस्त भूमि मे कोई हित निहित नही है, वादी को वाद पत्र पेश करने का कोई लॉकस स्टेण्डाई नही है. वादी का वाद प्रतिनिधिक वाद भी नही है ऐसी स्थिति मे वादी को वाद पत्र पेश करने का कोई हक अधिकार नही है, इस प्रकार वादी द्वारा वाद पत्र पेश करने का कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है बिना वाद कारण वादी का वाद पोषणीय नही है तथा वाद पत्र पेश करने से पूर्व लेण्ड होल्डर को विधिवत नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेण्ड होल्डर को विधिवत नोटिस देने बाबत वाद पत्र मे कोई तथ्य अंकित नही है ऐसी स्थिति मे वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से प्रथमदृष्टया खारिज फरमाये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC स्वीकार कर निवेदन है कि वादी के वाद पत्र को खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

अप्रार्थी/वादी ने प्रतिवादीगण के प्रा०पत्र 07 R 11 CPC का जवाब पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी मंदिर की है। वादी उक्त ग्राम का स्थायी निवासी है व वर्षो से मंदिर रामलला की पूजा अर्चना करता आ रहा है इसलिए वादी मंदिर के हितार्थ अपने अधिकारो के तहत वाद पेश किया है। विधि का प्रतिपादित सिद्धान्त है कि मंदिर मूर्ति सास्वत नाबालिग है वादी के द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद से मंदिर सम्पत्ति के लिए प्रतिनिधि वाद प्रस्तुत करने का अधिकार समाप्त नही होता है एवं प्रतिनिधि वाद से वादी के सिविल अधिकार समाप्त नही होते है वादी का वाद हेतुक विपरित रूप से प्रभावित होता है वादी ने वादी के विरुद्ध उत्पन्न हुए वाद हेतुक के लिए प्रस्तुत किया है वादी को वाद पत्र मे वर्णित अभिकथनो के समर्थन मे साक्ष्य का अवसर प्रदान किये उपरोक्त बिन्दुओ का निस्तारण स्तर पर नही किया जा सकता है। प्रस्तुत वाद अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण विधिवत न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की परमिशन से वादी ने अपना वाद प्रस्तुत किया है उक्त मामले के संबंध मे विवाद करने का अधिकार केवल सरकार/लेण्ड होल्डर का है नाकि प्रतिवादीगण का। प्रतिवादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र बदनियति से प्रस्तुत किया है। खारिज किये जाने योग्य है।

वकील उभयपक्षो की प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC पर बहस सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादीगण वकील ने अपनी बहस मे प्रा०पत्र

— लगातार

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी

(मुहर: उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांगानेर जयपुर (द्वितीय))

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 12:27:03 IST
Reason: SelfAttested

O7 R11 CPC में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र O7 R11 CPC को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है। वकील अप्रार्थी/वादी ने अपनी बहस मे प्रा०पत्र के जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुऐ प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र O7 R11 CPC को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली, राजस्व रिकार्ड, प्रार्थना पत्र O7 R11 CPC, जवाब प्रार्थना पत्र का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील उभयपक्षी की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि वाके ग्राम गवार जायन तहसील सांगानेर जिला जयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2076 का खाता संख्या 49 के खसरा नम्बर 327 रकबा 0.64 है०, 343 रकबा 0.95 कुल किता-2 कुल रकबा 1.59 है० व खाता संख्या 53 के खसरा नम्बर 326 रकबा 0.64 है०, 344 रकबा 0.82 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.46 है० भूमि के प्रतिवादीगण । लगायत 13 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादी व उसके पूर्वजो के नाम कभी दर्ज नही रही है। वादी का वादग्रस्त भूमि मे कोई हित निहित नही है वादी को वाद पत्र पेश करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नही है, वादी का वाद प्रतिनिधिक वाद भी नही है, ऐसी स्थिति में वादी वादपत्र पेश करने का कोई हक व अधिकार नही है, इस प्रकार वादी द्वारा वाद पत्र पेश करने का कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है बिना वाद कारण वादी का वाद पोषणीय नही है अतः वाद प्रारम्भिक अवस्था खारिज किये जाने योग्य है

अतः आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 3, 5, 6, 8, 10, 12 व 13 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा०दी० स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वादपत्र बाबत घोषणा एवं बन्दोबस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा वाके ग्राम गवार जायन तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित खसरा नम्बरान, 327, 343, 326, 344 का खारिज किया जाता है। पक्षकार डिक्री प्रारूप से नोशन ... करे।

निर्णय आज दिनांक 16/10/2024 को ... खुले ... मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 12:27:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)